उत्तर मध्य रेलवे

प्रधान कार्यालय,
जी. ब्लॉक, मन्दाकिनी,
सूबेदारगंज, प्रयागराज।

सं.969-ई/हित/कैंटीन/उमरे

दिनांक 30.06.2021

आवश्यक सूचना

विषयः—मुख्यालय में कैंटीन संचालन के लिए कोटेशन आमंत्रित किये जाने के संबंध में।

मुख्यालय में कैंटीन संचालन के लिए खाद्य सामग्रियों को विकय किये जाने हेतु निर्धारित सूची के अनुसार कोटेशन आमंत्रित किये जाते है। कैन्टीन से संबंधित नियम एवं शर्तो का विवरण भी कोटेशन के साथ संलग्न है। उपरोक्त के अनुसार दिनांक 08.07.2021 को समय 10:30 बजे तक उप मुकाधि./निर्माण/उमरे/प्रयागराज के पक्ष में शील्ड कवर लिफाफे में भर कर कार्मिक शाखा के कल्याण अनुभाग में रखे हुये बॉक्स में डाले। कोटेशन दिनांक 12.07.2021 को सायं काल 16:00 बजे कर्मचारी हित निधि उप समिति कमेटी के समक्ष खोला जायेगा।

(एच.एन.चौधरी)
उप मुकाधि/निर्माण
कृते महाप्रबंधक/कार्मिक

प्रतिलिपिः—

1. सीएमआईटी/उमरे/मुख्यालय, प्रयागराज कृपया एनसीआर की वेबसाईड पर अपलोड करने की कृपा करें।
2. मुख्य जनसंपर्क अधिकारी/उमरे/प्रयागराज कृपया न्यूज पेपर में प्रकाशित करने हेतु।
3. सभी सूचना पट् पर चस्पा करें।

मुख्यालय में स्टाफ कैन्टीन की मूल्य सूची

सेल्फ सर्विस

नाश्ता	मूल्य	गरम/ठण्डा पेय पदार्थ	मूल्य
पकौड़ी 100 ग्राम		चाय 100 मि.ली.	
खोवा स्वीट्स 35 ग्राम		कॉफी 100 मि.ली.	
लड्डू 35 ग्राम		डिप चाय 100 मि.ली.	
गुलाब जामुन 50 ग्राम		सूप 150 मि.ली.	
समोसा 70 ग्राम चटनी		साफ्ट ड्रिंक	
ब्रेड पकौड़ा प्रति			
नमकीन/मठरी 50 ग्राम			
04 पूड़ी–सब्जी			
छोले भटूरे (दो अदद)			

दक्षिण भारतीय व्यंजन

मसाला डोसा – 200 ग्राम	
02 पीस इडली – 35 ग्राम प्रति	
02 पीस मेदू बडा –50 ग्राम	
साम्बर, नारियल चटनी (डोसा/इडली/बडा के साथ फ्री)	

स्पेशल थाली

रोटी 04 (25ग्राम प्रति)	
बासमती चावल – 100 ग्राम	
दाल फ्राई – 100 ग्राम	
मिक्स सब्जी – 100 ग्राम	
पनीर सब्जी – 100 ग्राम	
पापड़ एक प्रति	
रायता/दही – 100 ग्राम	
सलाद–100 ग्राम	
एक पीस गुलाब जामुन 50 ग्राम	

जूस कार्नर

फ्रूट जूस मुसम्मी – 200 मि.ली.	
मिक्स ड्राई फ्रूट प्रति प्लेट 200 ग्राम	

लंच थाली

रोटी 04 (25ग्राम प्रति)	
चावल – 100 ग्राम	
अरहर दाल – 60 ग्राम	
सब्जी – 100 ग्राम	
सलाद – 100 ग्राम	
अलग से रोटी (25 ग्राम प्रति)	
अलग से चावल 50 ग्राम	

कार्यालय बैठक के दौरान प्रति विशेष थाली कैटरिंग सेवा के साथ

मिस्सी रोटी 50 ग्राम 02 पीस	स्वीट्स गुलाब जामुन 01	
प्लेन पराठा 50 ग्राम 02 पीस	पानी बोतल/गिलास	
बासमती चावल 50 ग्राम	आईसक्रीम	
दाल फ्राई 100 ग्राम	नेपकीन	
पनीर सब्जी 100 ग्राम	सौफ/सुगर केन्डी	
मिक्स सब्जी 100 ग्राम		
रायता 50 ग्राम		
सलाद 50 ग्राम		
पापड़ 01 पीस		

उत्तर मध्य रेलवे
कैन्टीन

निर्धारित – नियम एवं शर्तें :–

1. कैन्टीन परिसर का टोकेन लाइसेन्स फीस ₹1000/–प्रति वर्ष कैन्टीन आरम्भ तिथि से 15 दिन के अन्दर जमा करना होगा। रेलवे बोर्ड द्वारा लाइसेन्स के नियमों में परिवर्तन होने पर लाइसेंस फीस बढ़ाई व घटाई जा सकेगी।
2. मुख्यालय में कैन्टीन का संचालन एक वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जायेगा। भविष्य की सेवा के लिए सेवाओं का आकलन करने के उपरान्त निर्णय लिया जायेगा।
3. कैन्टीन संचालन हेतु आपको अपना स्टाफ (18 वर्ष से अधिक आयु का) निर्धारित एवं स्वच्छ पोषाक में रखना होगा तथा उनकी समय–समय पर मेडिकल जॉच रेलवे नियमों के अनुसार करानी होगी। उनको देय वेतन भत्ते इत्यादि के भुगतान की जिम्मेदारी ठेकेदार की स्वयं होगी।
4. कैन्टीन परिसर की स्टाफ की व्यवस्था एवं सफाई की जिम्मेदारी ठेकेदार के स्वयं की होगी एवं प्रतिदिन कैन्टीन संचालन के पश्चात् परिसर की धुलाई एवं स्टोर रूम आदि को सुव्यवस्थित करना होगा तथा कर्मचारी हित निधि उप समिति द्वारा उपलब्ध कराये गये सामग्री का साफ–सफाई सुनिश्चित करना होगा।
5. ठेकेदार को ठेका मिलने के समय राशि ₹60,000/–की जमानत राशि कर्मचारी हित निधि उप समिति, उत्तर मध्य रेलवे, सूबेदारगंज, प्रयागराज के पंजाब नेशनल बैंक के बैंक अकाउन्ट सं. **4763000100000052** में जमा कराकर रसीद इस कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी। यदि आपके द्वारा ठेका देने की तिथि से 6 माह के अंदर कैन्टीन संचालन का कार्य बन्द किया जाता है तो ₹60,000/–की जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
6. सभी प्रकार के लाइसेन्स, जो कैन्टीन संचालन हेतु उत्तर प्रदेश सरकार एवं रेलवे द्वारा निर्धारित है, प्राप्त कर नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की स्वयं की होगी। आपको कैन्टीन संचालन तक न्यूनतम मजदूरी भुगतान अधिनियम, मजदूरी भुगतान अधिनियम, कान्ट्रेक्ट ऑफ लेबर एक्ट में निहित सभी प्रावधानों का पालन करना होगा एवं अधिनियम में वर्णित रजिस्टर कैन्टीन में उपलब्ध रखने होंगे। इस संबंध में किसी भी कमी के लिए ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा।
7. फूड एडल्ट्रेशन एक्ट अथवा राज्य सरकार के किसी भी खाद्य आपूर्ति अधिनियम के तहत कोई भी मामला उत्पन्न होने पर उसे निपटाने की जिम्मेदारी ठेकेदार की स्वयं की होगी।
8. भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा उत्पन्न वस्तु सेवा कर (जीएसटी) जो देय हो, जमा करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की स्वयं की होगी।
9. ठेकेदार द्वारा खाद्य एव पेय सामग्री तैयार करने के लिए उपरोक्त अनुसार स्वीकृत किस्म के ब्राण्डेड तेल, घी, चाय, काफी, दूध इत्यादि का प्रयोग करना होगा।
10. ठेकेदार कैन्टीन में सभी प्रकार का अनुशासन बनाये रखेगा।
11. ठेकेदार द्वारा कैन्टीन में सरकार के द्वारा निर्देशित इकोफेंडली सामग्री का ही प्रयोग किया जाना होगा। सप्लाई किये जाने वाले सामान की कीमत वसूली की जिम्मेदारी ठेकेदार के स्वयं की होगी। देय किसी भी राशि की वसूली के लिए रेल प्रशासन जिम्मेदार नहीं होगा।
12. खाद्य पदार्थो की बिकी कूपन के माध्यम से की जायेगी।
13. कैन्टीन में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सुविधा के लिए मूल्य सूची प्रदर्शित किया जाना आवश्यक होगा।
14. ठेकेदार को सदैव पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ एवं ताजा खाद्य सामग्री सप्लाई करनी होगी।
15. कैन्टीन में खाद्य सामग्री में जहाँ चीनी का उपयोग होता है वहां चीनी की एवज में सेकरीन अथवा अन्य अनुउपयोगी वस्तु का उपयोग नहीं किया जायेगा।

Kaly.

16. कैन्टीन संचालन हेतु उपयोग में आने वाले वर्तन, कॉकरी, विद्युत उपकरण, विद्युत प्रभार, फर्नीचर, फ्रिज, माइकोवेव, पानी इत्यादि की व्यवस्था कर्मचारी हित निधि उप समिति द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी, जिसको ₹100/–के नॉन ज्यूडिशियल पेपर पर ठेकेदार द्वारा प्राप्त की जायेगी। उपरोक्त वर्णित समानों की रख–रखाव ठेकेदार द्वारा किया जायेगा। भविष्य में अगर कोई सामान कैन्टीन के उपयोग हेतु ठेकेदार को उपलब्ध कराया जाता है, तो उसकी पावती देनी होगी जो उपरोक्त सामग्री का हिस्सा होगा।

(कामर्शियल) गैस रेग्यूलेटर के साथ व गैस सिलेण्डर – 05 एच.पी. ब्राण्ड 19 लीटर (कामर्शियल) केपेसिटी के भरे हुये/खाली ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे।

17. ठेकेदार द्वारा कैन्टीन के किसी भी सामान की क्षतिग्रस्त एवं सामान गायब होने की स्थिति में क्षतिपूर्ति सामान की वास्तविक दर से कटौती की राशि ठेकेदार द्वारा कर्मचारी हित निधि उप समिति को देना होगा।

18. कैन्टीन संचालन हेतु कर्मचारी हित निधि उप समिति द्वारा उपलब्ध करायी गयी सामग्री जैसे–फर्नीचर, फ्रिज, गैस चूल्हा, माइकोवेव, **R.O. Water purifier** इत्यादि की मेंटनेंस की व्यवस्था ठेकेदार को स्वयं करना होगा।

19. कर्मचारी हित निधि उप समिति को किसी भी समय बिना कारण बताये कैन्टीन संचालन स्वीकृति को रद्द अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

20. कैन्टीन संचालन की स्वीकृति ठेकेदार द्वारा रद्द/निरस्त करने अथवा कैन्टीन संचालन छोड़कर जाने की स्थिति में तीन माह पूर्व लिखित नोटिस देना होगा।

21. मुख्यालय में कैन्टीन संचालन हेतु खाद्य पदार्थो की मूल्य सूची संलग्न है।

22. मुख्यालय के कैन्टीन के माध्यम से वितरित किये जाने वाले खाद्य–पदार्थो के गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जायेगा। जॉचोपरान्त गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर ठेकेदार पर उचित जुर्माना लगाया जायेगा।

23. फर्म को वस्तु एवं सेवा कर **(GSTIN)** से पंजीकृत कराना आवश्यक होगा।

24. कैंटीन के किचेन में लापरवाही के कारण आग लगने तथा अन्य दुर्घटना की स्थिति में कानूनी प्रावधानों के अनुसार सारी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

25. प्रशासनिक एवं कर्मचारियो के हित को ध्यान में रखते हुए शर्तो में बदलाव किये जाने का अधिकार कर्मचारी हित निधि उप समिति, मुख्यालय को होगा।

Kalle